न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 46/22 GCMS NO 2022/82

1. बाढा देवी पत्नि किशोरी
2. कल्लाराम पुत्र किशोरी
3. छोटेलाल पुत्र किशोरी
4. पुष्पेन्द्र पुत्र रामराज
5. पुखराज पुत्र लक्ष्मण
6. शांतिदेवी पत्नि पुखराज जातियान मीना निवासीयान टोडा तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. लोकेश मीना पुत्र कल्लाराम जाति मीना निवासी टोडा तहसील बामनवास
2. मन्टूरी देवी पत्नि कल्लाराम जाति मीना निवासी टोडा तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास
4. सब रजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील बामनवास
5. सरकार जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/21 निर्णय दिनांक 12.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 श्री वृद्विचंद शर्मा

दिनांक 18.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण न0 1 लोकेश पुत्र कल्लाराम व रेस्पो0/प्रार्थी संख्या 2 मन्टूरी देवी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। जो किशोरी व बाढा देवी की सन्तान है। गैरसायल संख्या 5 पुखराज , किशोरी के भाई लक्ष्मण का पुत्र है। स्व0रामराज का पुत्र पुष्पेन्द्र है जो गैरसायल संख्या 4 है। गैरसायल न0 2 कल्ला पुत्र किशोरी , कल्ला का पुत्र सायल न0 1 लोकेश व सायल न0 2 मन्टूरी देवी पत्नि कल्ला है। सायल न0 1 लोकेश के स्व0 कजोडया की पुश्तैनी पैतृक जमीन जो सायल न0 1 के परबाबा कजोडया के जीवनकाल मे एवं स्व0 किशोरी के जीवनकाल मे उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि तथा [illegible] बाढादेवी पत्नि स्व0किशोरी की खातेदारी की पुश्तैनी पैतृक जमीन ख0न0 वर्तमान ग्राम टोडा [illegible] स्थित है। यह जमीन सायल संख्या 1 के पितामह स्व0कजोडया बाबा [illegible] की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 136 जिसका पुराना खाता संख्या 125 है। इस भूमि [illegible] ख0न0 30

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रकबा 0.58 है0 नहरी व ख0न0 335 रकबा 0.30 है0 , ख0न0 336 रकबा 0.32 है0, ख0न0 337 रकबा 0.12 है0 , ख0न0 341 रकबा 0.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 है0 स्थित ग्राम ... है। इस भूमि मे 1/2 भाग की खातेदारी सायल की दादी बाढा देवी के नाम है व 1/2 ... गैरसायल पुखराज के नाम अंकित है। ख0न0 1193/707 रकबा 0.42 है0 जिसके खातेदार गैरसायलान कल्ला हिस्सा 1/3 गेरसायल छोटेलाल हिस्सा 1/3 , पुष्पेन्द्र के पिता स्व0रामराज का हिस्सा 1/3 उक्त भूमि मे है। इसी प्रकार सायल की पैतृक पुश्तैनी भूमि ख0न0 119 रकबा 0.65 है0, 123 रकबा 0.28 है0, 303 रकबा 0.20 है0, 438 रकबा 0.35 है0, 648 रकबा 0.11 है0, 654 रकबा 0.15 है0, 659 रकबा 0.15 है0, कुल रकबा 1.79 है0 मे कल्ला का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग मे बाढा देवी व 1/4 मे स्व0रामराज जिसका वारिश पुष्पेन्द्र गैरसायल संख्या 1 ता 4 की खातेदारी मे है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या 257 जिसके ख0न0 826 रकबा 0.76 है0 नहरी 2 ख0न0 827 रकबा 0.69 है0, कुल रकबा 1.45 है0 की भूमि मे प्रतिवादी कल्ला पुत्र किशोरी लाल का हिस्सा 1/6, छोटे लाल का 1/6 , पुष्पेन्द्र पुत्र रामराज का 1/6 तथा शांतिदेवी पत्नि पुखराज का हिस्सा 1/2 की यह भूमि वादीगण के बुर्जग बाबा व दादा की पुश्तैनी पैतृक भूमि है। यह उक्त जमीन वादी संख्या 1 की पुश्तैनी पैतृक भूमि है। इस प्रकार कुल रकबा 5.23 है0 मे वादी का सजरा बंशावली अनुसार कल्ला व मन्टूरी देवी का 1/3 हिस्सा मे से यानि कल्ला पुत्र किशोरी के हिस्से मे वादी संख्या 1 व वादिया संख्या 2 का हिस्सा उत्त्राधिकार के अनुसार समस्त भूमि मे से बंटवारा करवाकर खातेदारी घोषणा कराने व इन्द्राज दुरुस्त कराने का अधिकार वादीगण संख्या 1 व 2 को है। गैरसायलान उक्त भूमि से सायलान के हिस्से से बंचित करना चाहते है। भूमि को रहन बय व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण गैरसायलाना को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि सायलान के हिस्से की पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द रहन बय नही करे तथा सायलान को बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.5.22 के द्वारा उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक आराजीयात के बाबत रहन बेचान एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गेरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पक्षकारान शिडयूल टाईब के व्यक्ति है। तथा पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से गर्वन होते है तथा ... पति की मौजूदगी मे पति की खातेदारी मे कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ... है। इसी प्रकार बाढा देवी रेस्पो0 लोकेश की दादी है तथा लोकेश ... मौजूदगी मे बाढादेवी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि मे से कोई भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही है। बाढादेवी के नाम दर्ज भूमि बाढादेवी की स्वअर्जित भूमि है तथा बाढादेवी की स्वअर्जित भूमि मे से किसी को भी कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानो की अवहेलना करते हुए उभयपक्ष को पाबन्द करने मे कानूनी भूल की है। पिता की मौजूदगी मे [illegible] को हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। इस तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय [illegible] नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय को दावे को आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर कानूनी भूल की है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि भूमि ख0न0 335,336,337,341,826,827,1193/707,119,123,303,438,648,654,659 व ख0न0 30 वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि है वादिया मन्टूरी देवी कल्लाराम की पत्नि है तथा वादी लोकेश प्रतिवादी कल्लाराम का पुत्र है। इसलिए कल्लाराम के हिस्सा 1/3 मे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायलान द्वारा भूमि से रेस्पो/सायल को बंचित रखना चाहते है तथा भूमि को रहन बय करने पर आमादा होने व झगडा फसाद करने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/गैरसायलान को पाबन्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारा, खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है। सायल संख्या 1 व 2 असहाय व्यक्ति है। गैरसायल कल्ला सायल संख्या 1 का पिता व सायला संख्या 2 का पति है। गैरसायल कल्ला बाढा देवी व गैरसायल संख्या 3 ता 5 के भय डर व प्रभाव मे है एवं सायल/रेस्पो0 को घर से निकालने के साथ साथ भूमि के हिस्से से भी बेदखल करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार आपसी बाद वाहुलता नही बढे इस हेतु उभयपक्ष को विवादित आराजीयात की मौके एवं यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं रहन बय नही करने हेतु दावे के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश पारित किये है। जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 335,336,337 व 341 रकबा 0.99 है0 की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 पुखराज पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/2, बाढा पत्नि किशोरी हिस्सा 1/2, तथा ख0न0 826 व 827 रकबा 1.45 है0 कल्ला पुत्र किशोरी लाल हिस्सा 1/6 छोटेलाल पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/6, पुष्पेन्द्र पुत्र रामराज हिस्सा 1/6 व शांति देवी पत्नि पुखराज हिस्सा 1/2 तथा ख0न0 1193/707 रकबा 0.42 है0 कल्ला पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3, छोटेलाल पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3, रामराज पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3, ख0न0 119,123,[illegible]648,654,659 रकबा 1.79 है0 कल्ला पुत्र किशोरी हिस्सा 1/4 , छोटा [illegible] स्व0किशोरी हिस्सा 1/4, रामराज पुत्र किशोरी हिस्सा 1/4 दर्ज [illegible] रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र मे रिलीफ कल्लाराम के विरूद्व चाही गई थी। सायल लोकेश कल्लाराम का पुत्र है तथा सायला संख्या 2 मन्टूरी कल्लाराम की पत्नि है। विधि के अनुसार पिता के जीवित रहते पुत्र को पिता की चल अचल सम्पति के विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त नही होता है ना ही पति के जीवित रहते पत्नि को पति की चल अचल सम्पति के विभाजन का अधिकार प्राप्त नही इससे स्पष्ट है कि विवाद पिता पुत्र एवं पति पत्नि के बीच है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश मे अन्य खातेदारान को भी दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया है। जो विधि के विपरीत है। यदि सायल को उनसे पिता द्वारा भूमि को रहन बय करने का अंदेशा है तो वह केवल उसके पिता कल्लाराम की हद तक पाबन्द कराने का अधिकार रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत अन्य खातेदारान को भी दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 18/21 निर्णय दिनांक 12.5.22 मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि विवादित आराजीयात मे सायलान के पिता/पति कल्लाराम की हद तक दावे के निस्तारण तक आराजीयात ख0न0 335,336,337,341,826,827,1193/707,119,123,303,438,648,654,659 व 30 को किसी प्रकार से रहन बय बेचान आदि नही करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner